

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 319 / स्था. / 2025

दिनांक : 29.10.25

:: आदेश ::

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F. 7(1)DOP/A-II/95/Pt. दिनांक 16.03. 2023 एवं परिपत्र क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क-2/95पार्ट दिनांक 24.05.2023 एवं पदोन्नति समिति अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारीगण को इस कार्यालय के पूर्व विभिन्न पदोन्नति आदेशों से लिपिक ग्रेड-॥ के पद पर प्रदान की गई पदोन्नतियों को निरस्त करते हुए इसके स्थान पर पुनः इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से लिपिक ग्रेड-॥ के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि से पी.बी.-1 रनिंग पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2400/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स 20800-65900 में लेवल एल-05 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पद	पदोन्नति की तिथि एवं अवधि	विशेष विवरण
1	श्री प्रताप नोगिया, लिपिक ग्रेड-॥	11.05.2015 से 05.08.2018 तक	पदोन्नति तक
2	श्री तेजकुमार टेलर लिपिक ग्रेड-॥	17.11.2017 से 31.12.2019 तक	पदोन्नति तक

नोट :-

- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे। कर्मचारी को उक्त पदोन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति तिथि से तथा नकद लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)78/2024/871 दिनांक 23.10.2024 के अनुसार मंत्रालयिक संस्थापन नियम 14ए में किये गये संशोधन अनुसार कर्मचारी को किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।
- उपरोक्त पदोन्नति भविष्य में कर्मचारी का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा अन्य किसी कारण से अयोग्य पाये जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के पदावनत किया जा सकेगा।
- उक्त पदोन्नतियां राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पदोन्नति आदेश के संबंध में लंबित समस्त रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन उक्त आदेश में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

दिनांक : 29/10/25

क्रमांक: स्था/2025/5444 to 5446

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- अध्यक्ष, पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची निर्धारण समिति
- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा